B.Com II By Dr. Manoj Kumar

औद्योगिक सन्नियम
(Industrial Laws)

भारतीय अर्थव्यवस्था के तीन आधारभूत क्षेत्र है

① कृषि क्षेत्र (Agriculture sector)
② उद्योग क्षेत्र (Industry sector)
③ सेवा क्षेत्र (Service sector)

वर्तमान में भारत के सकलघरेलू उत्पाद मे कृषि क्षेत्र का योगदान 15 प्रतिशत है, उद्योग क्षेत्र का योगदान 28 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र का योगदान 57 प्रतिशत है। स्वतंत्रता के पश्चात् उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का योगदान उत्तरोत्तर बढता रहा है। उद्योग क्षेत्र के विकास के साथ-साथ उससे सम्बन्धित कानून का क्षेत्र भी व्यापक होता जा रहा है।

औद्योगिक सन्नियम का आशय उस विधान से है जो औद्योगिक संस्थानों, उनमे कार्यरत श्रमिकों एव उद्योगपतियों पर लागू होता है। इसे हम दो भागों में बांट सकते है।

① उद्योग एवं श्रम सम्बन्धी विधान (Legislation Pertaining to Factory and Labour)

② सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विधान (Legislation Pertaining to Social Security)

Scanned with CamScanner

(1) उद्योग तथा श्रम सम्बन्धी विधान —:

उद्योग तथा श्रम सम्बन्धी विधान में वे सब अधिनियम आते हैं जो कारखाने तथा श्रमिकों के काम की दशाओं का नियमन करते हैं तथा कारखानों के मालिकों और श्रमिकों के दायित्व का उल्लेख करते हैं। कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 श्रम संघ अधिनियम, 1926, भृति-भुगतान अधिनियम, 1936, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 आदि उद्योग तथा श्रम सम्बन्धी विधान की श्रेणी में आते हैं।

(2) सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विधान —:

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विधान में वे सब अधिनियम आते हैं जो श्रमिकों के लिये विभिन्न सामाजिक लाभों— बीमारी, प्रसूति, रोजगार सम्बन्धी आघात, प्रॉविडेण्ट फण्ड, -पूनतम, -पूनतम मजदूरी इत्यादि- की व्यवस्था करते हैं। इस श्रेणी में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कर्मचारी प्रॉविडेण्ट फण्ड अधिनियम, 1952, -पूनतम भृति अधिनियम 1948, कोयला खान श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम, 1947 भारतीय गोदी श्रमिक अधिनियम, 1934, खदान अधिनियम, 1952 तथा मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 इत्यादि प्रमुख हैं।

भारत में लगभग 150 श्रम तथा औद्योगिक विधान लागू हैं। परन्तु उनमें से मुख्यतः निम्न हैं।

Scanned with CamScanner

(1) कारखाना अधिनियम, 1948

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

(3) श्रम संघ अधिनियम, 1926

(4) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

(5) कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923

(6) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

(7) मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936

उद्देश्य (Objectives of Industrial Law)

(1) उद्योगों का नियमन व नियन्त्रण करके केन्द्रीयकरण पर रोक लगाना

(2) कारखानों और काम की दशाओं में सुधार करना

(3) श्रमिकों की सुरक्षा व कल्याण की व्यवस्था करना

(4) औद्योगिक शान्ति की स्थापना करना तथा श्रमिकों व नियोक्ताओं के सम्बन्धों में सुधार करना

(5) श्रमिकों का नियोक्ता द्वारा शोषण रोकना तथा उन्हें एक न्यूनतम मजदूरी के भुगतान की व्यवस्था करना,

Scanned with CamScanner

6. दुर्घटना या चोट की दशा में श्रमिकों अथवा अथवा उनके परिवारों को राहत देना
7. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप श्रम विधान में परिवर्तन लाना
8. विभिन्न क्षेत्रों में लागू होने वाले अधिनियमों या नियमों में समरूपता लाना
9. बालक तथा स्त्री श्रमिक के रोजगार पर प्रतिबन्ध लगाना
10. अंतर्राष्ट्रीय श्रम-संघ द्वारा निर्धारित बातों का देश की परिस्थितियों के अनुसार लागू करना

औद्योगिक सन्नियम के सिद्धान्त
(Principles of Industrial Law)

1. सामाजिक न्याय का सिद्धान्त (Principles of Social Justice)
2. सामाजिक कल्याण का सिद्धान्त (Principle of Social Welfare)
3. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सिद्धान्त Principle of National Economy
4. अन्तर्राष्ट्रीय समरूपता का सिद्धान्त (Principle of International Uniformity)